निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 444) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–27/2020–1030/वि०स०।—" ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020", जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–13 / 2020]

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को संशोधित करने हेतु विधेयक

प्रस्तावना :– चूँकि वर्तमान में कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि राष्ट्रपति से इसे में प्रख्यापित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है :

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(1) इस अध्यादेश को ठेका श्रम(विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) अधिनियम 1970 में संशोधन।– ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के धारा–1 की उपधारा (4) निम्नरूपेण प्रतिस्थापित होगा।

(i) उपधारा (a) में शब्द ''बीस'' को शब्द ''पचास'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपधारा (b) में शब्द ''बीस'' को शब्द ''पचास'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं धारा–1 की उपधारा (4) के परन्तुक में शब्द ''बीस'' को शब्द ''पचास'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. विधिमान्यकरण।– अधिनियम की इस धारा 1 की उपधारा 4 में संशोधन होते हुए भी, इसके पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 के प्रतिस्थापन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(i) ठेका श्रम विनियमन एवं उत्सादन (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–06, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

कतिपय स्थापनाओं में ठेका पर कार्य कर रहे श्रमिकों के नियोजन से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने के उद्देश्य से ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 बिहार राज्य में लागू है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु बिहार ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) नियमावली, 1972 भी प्रवर्तन में है।

चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है एवं राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम के कतिपय प्रावधानों को संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

सम्प्रति ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा–1 की उपधारा (4) (a) एवं (b) एवं परन्तुक में 50 कामगार किये जाने का प्रस्ताव है, जो पूर्व में 20 था।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के लागू हो जाने के पश्चात राज्य में छोटे एवं मंझौले प्रकार के उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही साथ रोजगार के नये अवसर सृजित हो सकेंगे एवं राज्य के उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी।

यहाँ इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(विजय कुमार सिन्हा)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 444-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in